भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1608
(29 जुलाई, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत वार्षिक लक्ष्य

1608 श्री हरीश चंद्र मीनाः

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राजस्थान सहित देश में राज्यवार प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के अंतर्गत वर्ष 2024-25 में जनवरी 2025 तक 84 लाख आवासों के लक्ष्य के मुकाबले केवल चार लाख आवास ही पूरे हो पाए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त लक्ष्य प्राप्ति में राज्य-वार इतने बड़े अंतर का क्या कारण है; और

(ग) उक्त योजना के वार्षिक और कुल लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु निर्माण कार्यों में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. चंद्र शेखर पेम्मासानी)

(क) और (ख): ग्रामीण क्षेत्रों में "सभी के लिए आवास" के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए , ग्रामीण विकास मंत्रालय 1 अप्रैल, 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) का कार्यान्वयन कर रहा है ताकि पात्र ग्रामीण परिवारों को सहायता प्रदान करके बुनियादी सुविधाओं से युक्त 2.95 करोड़ मकानों का निर्माण मार्च 2024 तक किया जा सके। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 के दौरान 2 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण मकानों के निर्माण हेतु "प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के कार्यान्वयन" के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया है।

मार्च 2024 से आगे योजना को जारी रखने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुमोदन के बाद , वित्त वर्ष 2024-25 के लिए नए चरण के लक्ष्य सितंबर 2024 में राज्यों को आवंटित किए गए थे। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, पीएमएवाई-जी के तहत, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों

को 84.45 लाख मकानों का लक्ष्य आवंटित किया गया , जिनमें से 64.70 लाख मकानों को मंजूरी दी गई थी और 10.74 लाख मकानों का निर्माण पूरा हो गया था। दिशानिर्देशों के अनुसार, मकान के निर्माण की निर्धारित समय-सीमा मंजूरी की तारीख से 12 महीने है। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान राजस्थान सहित पीएमएवाई-जी के तहत स्वीकृत और निर्मित मकानों की राज्यवार संख्या **अनुबंध में दी गई है** ।

पीएमएवाई-जी के अंतर्गत वार्षिक और कुल लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मकानों के निर्माण कार्य में तेजी लाने हेतु सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

i. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को समय पर लक्ष्य आवंटित करना तथा पर्याप्त निधि जारी करना।

ii. मंत्रालय स्तर पर प्रगति की नियमित समीक्षा।

iii. योजना की निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए पीएमएवाई-जी डैशबोर्ड की शुरूआत करना।

iv. ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन लाभार्थियों को भूमि का प्रावधान तथा केन्द्रीय एवं राज्य अंश की निधि जारी करना सुनिश्चित करने के लिए राज्य के साथ नियमित अनुवर्ती कार्रवाई करना।

v. निष्पादन सूचकांक डैशबोर्ड के आधार पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, जिलों और ब्लॉकों को पुरस्कार प्रदान करना , जिससे निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और प्रेरणा पैदा हो।

*****

अनुबंध

पीएमएवाई-जी के अंतर्गत वार्षिक लक्ष्य के संबंध में लोक सभा में दिनांक 29.07.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 1608 के भाग (क) एवं (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान राजस्थान सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पीएमएवाई-जी के तहत स्वीकृत और निर्मित मकानों की संख्या का विवरण।

क्र.सं.	राज्य	लक्ष्य	स्वीकृत	निर्मित
1	अरुणाचल प्रदेश	संतृप्त	0	0
2	असम	5,59,951	5,31,489	76,327
3	बिहार	7,90,648	7,34,855	1,61,245
4	छत्तीसगढ	11,65,315	9,25,495	3,75,906
5	गोवा	संतृप्त	0	0
6	गुजरात	2,99,011	2,25,505	19,626
7	हरियाणा	77,058	41,489	10,852
8	हिमाचल प्रदेश	92,364	72,215	8,265
9	जम्मू और कश्मीर	संतृप्त	98	0
10	झारखंड	4,19,947	1,98,202	4,889
11	केरल	1,97,759	38,108	169
12	मध्य प्रदेश	11,89,690	10,02,687	1,64,227
13	महाराष्ट्र	19,66,767	18,65,686	1,09,301
14	मणिपुर	7,000	1	0
15	मेघालय	संतृप्त	0	0
16	मिजोरम	संतृप्त	0	0
17	नागालैंड	संतृप्त	0	0
18	ओडिशा	1,24,304	1,03,066	40,277
19	पंजाब	63,985	32,247	2,925
20	**राजस्थान**	**4,98,468**	**4,94,302**	**51,679**
21	सिक्किम	संतृप्त	0	0
22	तमिलनाडु	2,10,623	15,682	4,113
23	त्रिपुरा	संतृप्त	0	0
24	उत्तार प्रदेश	70,834	45,064	40,383

25	उत्तराखंड	संतृप्त	0	0
26	पश्चिम बंगाल**	0	0	0
27	अंडमान और निकोबार	संतृप्त	0	0
28	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	संतृप्त	0	0
29	लक्षद्वीप	संतृप्त	0	0
30	पुडुचेरी***	0	0	0
31	आंध्र प्रदेश	684	505	78
32	कर्नाटक	7,02,731	1,43,442	4,572
33	तेलंगाना***	0	0	0
34	लद्दाख	संतृप्त	0	0
	कुल	**84,37,139**	**64,70,138**	**10,74,834**

दिनांक 25.07.2025 के आवासॉफ्ट के अनुसार

*** राज्य द्वारा संतोषजनक कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत न किए जाने के कारण मंत्रालय पश्चिम बंगाल राज्य को लक्ष्य आवंटित नहीं कर सका।*

**** पुदुचेरी और तेलंगाना योजना की शुरुआत से ही पीएमएवाई-जी का कार्यान्वयन नहीं कर रहे हैं।*